संख्या-**22/1711/12-3-2014-100(9)/2009**

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल**,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक**,**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग**-3** लखनऊ**:** दिनांक**: 17** जुलाई**, 2014**

विषय- मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-भू.सं./लेखा(अ-1)/111/2014-15/05डी, दिनांक 2.4.2014 एवं शासनादेश संख्या-2066/12-2-2012-बजट/2010, दिनांक 17.7.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु कृषि विभाग की ऐसी योजनायें, जिनमें अब तक जिप्सम वितरण पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा था, में अब जिप्सम के वितरण पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न तालिका के अनुसार रू0-58267 हजार (रू0 पांच करोड़ बयासी लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि हजार रू**0** में

क्र.सं.	***लेखाशीर्षकामानक मद***	***वित्तीय वर्ष* 2014-15 *के लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि***	***स्वीकृत की जा रही धनराशि***
	अनुदान संख्या-11 *के लेखाशीर्षक*-2402-*मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत*-103-*भूमि सुधार तथा विकास*-06-*मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण*		
1	***27-सब्सिडी***	**174800**	**58267**

(रू**0** पांच करोड़ बयासी लाख सड़सठ हजार मात्र**)**

2- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु जिप्सम वितरण की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप किया जायेगा। धनराशि का नियमानुसार उपयोग शासनादेश संख्या-2066/12-2-2012-बजट-8/2010, दिनांक 17.7.2012 के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 में नेशनल मिशन ऑन ऑयलपॉय एण्ड ऑयल सीड्स तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत कृषकों के मध्य वितरित किये जाने वाले जिप्सम पर 25 प्रतिशत

http://shasanadesh.up.nic.in

अतिरिक्त अनुदान के रूप में किया जायेगा। इस संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। दूसरी किश्त का आहरण प्रथम किश्त के 75: व्यय होने के उपरान्त किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड क के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/ 2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

9- उपर्युक्त तालिका पर अंकित योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

10- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-103-भूमि सुधार तथा विकास-06-मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1- 795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14.3.2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल **)**
संयुक्त सचिव।

संख्या-**1711(1)/12-3-2014-**तद्दिनांक-

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
3- अपर कृषि निदेशक, भू.सं./एन.एम.ओ.ओ.पी./एन.एफ.एस.एम., कृषि भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त ई-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल **)**
संयुक्त सचिव।

http//:shasanadesh.up.nic.in